प्रतिलिपि क्रमांक 10391-4जी0एस0 II-75131627 दिनांक चण्डीगढ़ 27-10-75 प्रेषक मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार सेवा में, सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त तथा सभी उपमण्डल अधिकारी हरियाणा (2) रजिस्ट्रार पंजाब तथा हरियाणा हाई-कोर्ट तथा सभी जिला व न्यायाधीश, हरियाणा ।

विषय : तदर्थ आधार पर नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश का दिया जाना ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान संयुक्त पंजाब सरकार द्वारा जारी किए गए परिपत्र क्र0 2293-4जी0एस0 II-66/15013 दिनांक 7-6-66 की ओर दिलाऊं जिसके अनुसार तदर्थ आधार पर लगे सरकारी कर्मचारी को अधिकतम केवल 5 दिन तक के लिए आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जा सकता है । नियमों के अनुसार ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति 6 मास से अधिक नहीं होती । यह देखने में आया है कि कई केसों में तदर्थ आधार पर लगाए गए कर्मचारी 6 मास के बाद भी बिना ब्रेक के सरकारी सेवा में चलते रहते हैं और पूर्ववत आदेशों दिनांक 7-6-66 के अनुसार उन्हें 5 दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश नहीं मिलता । राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में पुनः विचार किया है और यह निर्णय लिया है कि ऐसे तदर्थ कर्मचारी को एक कार्यालय में बिना ब्रेक के 6 मास बाद भी सरकारी सेवा में चलते रहते हैं, उनको हरेक कम्पलीट मास के बाद एक दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जाए परन्तु इस बात का ध्यान रखा जाए कि एक तदर्थ कर्मचारी को एक वर्ष में आकस्मिक अवकाश 10 दिन से अधिक न मिले ।